



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231398
CG-DL-E-26112021-231398

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4477]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 2021/अग्रहायण 3, 1943

No. 4477]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 24, 2021/AGRAHAYANA 3, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2021

का.आ. 4844(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.167 एडी के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 39.006 (मचेर्ला से डाचेपल्ले) तक के पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती हैं।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.167एडी पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जॉइंट कलेक्टर (आर बी एंड आर), गुंटूर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-167AD के कि.मी. 0 से 39.006 तक	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	मचेर्ला	1 कम्भम्पडू 2 गोपालापुरम 3 रायावरम जंक्शन 4 मचेर्ला
					रेंटचिंतला	1 रेंटचिंतला 2 पलुवै जंक्शन 3 पलुवै
					गुरजाला	1 गुरजाला 2 कोठा अम्बापुरम
					डाचेपल्ले	1 नादिकुडी

[फा. सं. RW/NH-12037/1/2021-22/ Annual Plan-AP]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2021

S.O. 4844(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders from k.m. 0.000 to 39.006 (Macherla to Dachepalli) of National Highway No. 167AD in the district of Guntur in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 167AD in the district of Guntur in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Joint Collector (RB&R), Guntur	0KM To 39.006KM	ANDHRA PRADESH	GUNTUR	Macherla	1 Kambhampadu 2 Gopalapuram 3 Rayavaram Junction 4 Macherla
					Rentachintala	1 Rentachintala 2 Paluvai Junction 3 Paluvai
					Gurazala	1 Gurazala 2 Kotha Ambapuram
					Dachepalle	1 Nadikudi

[F. No. RW/NH-12037/1/2021-22/ Annual Plan-AP]

RAJESH GUPTA, Director